

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

पत्रांक-कृ0नि0/8285/तक0सम0/पंजी0कृषि यंत्र/2017-18/दिनांक 08, फरवरी, 2018.

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।

2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी।

विषय- कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु पंजीकृत फर्म तथा माडल विषयक।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या- 3403/दिनांक 10.08.2017 के द्वारा विभिन्न कृषि मशीनों तथा यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माता फर्मों के पंजीकरण प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। प्राप्त प्रस्तावों पर गठित पंजीकरण समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरांत विभिन्न कृषि यंत्रों/उपकरणों की विनिर्माता फर्मों के मेक/माडलों को पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया। पंजीकरण हेतु सिद्धित किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण	क्र0 सं0	पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण
1	Self Propelled Machines (a) Rice Transplanter (b) Reaper cum binder (c) Reaper	3	Manual/Animal driven Equipments (a) Seed cum fertilizer drill (b) Puddler/Weeder/Harrow/Cultivator/MB Plough/ Disc Plough/ Winnowing fan (c) Chaff cutter (d) Garden hand tools
2	Tractor/Power Tiller driven Equipments (a) MB Plough/ Disc Plough/ Ridger/ Cultivator/Harrow/ Weed Slasher/ Leveller blade (b) Zero till seed cum fertilizer drill/Seed drill (c) Laser Land Leveller (d) Rotavator (e) Reaper (f) Power weeder (engine operated also) (g) Multi crop thresher/Thresher/ Brush Cutter/Chaff cutter (also by engine/electric motor) (h) Straw reaper/ Happy Seeder (i) Rice Mill/ Dal Mill/ Atta Chakki	4	Plant Protection Equipments (Manual/Tractor/Power) (a) Manual sprayer -Knapsack / Foot sprayer (b) Power knapsack sprayer/ Power operated sprayer (c) Tractor mounted/Operated sprayer
		5	Water Lifting Pump
		6	HDPE Pipe (Flexible Pipes)
		7	Sprinkler set (50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 140mm)

पंजीकरण के समय संबंधित फर्म/फर्मों द्वारा दी गई माडलवार कृषि यंत्रों/उपकरणों की दरें भी आपके संज्ञानार्थ सलंगन की जा रही है। सलंगन सूची के अनुसार कृषक द्वारा पंजीकृत विनिर्माता फर्म/फर्मों के अधिकृत डीलर से सलंगन सूची में अंकित माडल को ख़य करने पर ही अनुदान देय होगा। अनुदान देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

1. उपरोक्त पंजीकरण दिनांक 31.09.2019 तक देय रहेगा।

2. कृषकों को कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान देते समय *Submission on Agricultural Mechanization* (SMAM) की गाईडलाइन के पैरा 6.4.2 अथवा संबंधित योजना की गाईडलाइन में इंगित व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा लघु सीमांत कृषकों को प्राथमिकता मिले।
3. कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमन्य सीमा तक ही देय होगा।
4. पंजीकृत फर्म को बिल स्वयं प्रस्तुत करना होगा, परन्तु यदि फर्म द्वारा किसी अधिकृत विक्रेता को अधिकृत किया गया हो तो, अधिकृत विक्रेता को बिल प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होगा। पंजीकृत विनिमाता फर्म/अधिकृत विक्रेता कृषक को निर्गत किए जाने वाले बिल/कैश मैमो पर पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ कृषि यंत्र का माडल/ब्राण्ड/गारन्टी, वारन्टी अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।
5. अनुदान मूल विनिमाता फर्म या उनके अधिकृत विक्रेता से कृषक द्वारा कथित कृषि यंत्रों/उपकरणों के मानक माडल/मेक पर ही देय होगा। फर्म/अधिकृत विक्रेता को बिल/कैश मैमो पर CGST, SGST, IGST आदि के पंजीकरण, दर एवं घनराशि का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. कृषक द्वारा कथित कृषि यंत्रों/उपकरणों के मानक माडल/मेक पर भारत सरकार द्वारा यदि CGST, SGST, IGST की दर परिवर्तित होती है, तो बिल/कैश मैमो पर CGST, SGST, IGST की परिवर्तित दर ही मान्य होगी।
7. निदेशालय स्तर पर पंजीकृत फर्म/माडल/मेक तथा दरों की सूची आपको संज्ञानार्थ तथा इसकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस निर्देश के साथ सलग्न की जा रही है कि आप इस सूची का क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इसके लिए इसे ग्राम पंचायत कार्यालय, विकासखंड कार्यालय, न्याय पंचायत प्रमारी कार्यालय, जिला कार्यालय आदि जहाँ पर भी किसान एकत्र होते हों, वहाँ पर चस्था किया जाय।
8. कृषक पंजीकृत फर्म या उसके अधिकृत डीलर से कृषि यंत्रों/उपकरणों को क्रय करेगा तथा फर्म/डीलर से बिल/कैश मैमो प्राप्त करेगा, जिसे वह अपने जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरांत *Submission on Agricultural Mechanization* (SMAM) की गाईडलाइन के पैरा 6.4.2 तथा उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।
9. अनुदान देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कृषक द्वारा कथित कृषि यंत्र/उपकरण विभाग द्वारा पंजीकृत किए गए कृषि यंत्रों/उपकरणों के अनुसार ही हो।
10. कृषि यंत्रों/उपकरणों के पंजीकरण/आपूर्ति में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में कृषि निदेशक, उत्तराखंड का फैसला अंतिम रूप से मान्य होगा।
11. जनपदीय मुख्य कृषि अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मों के फर्मवार/मेक/माडलवार पंजीकृत किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों के संबंध में कृषकों को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेगे। इसके अतिरिक्त मुख्य कृषि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कृषक जो भी कृषि

- यंत्र/उपकरण क्य करना चाहता है, उसका कुल क्य मूल्य तत्समय बाजार अथवा राज्य के किसी अन्य विभाग द्वारा कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे कृषि यंत्रों/उपकरणों के मूल्य से किसी भी दशा में अधिक न हो, यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है तो संबंधित जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी इसकी लिखित सूचना तत्काल प्रमाण सहित कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे, ताकि संबंधित फर्म के विरुद्ध इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तात्पर्य यह है कि कृषक जब मेक/माडल, गुणवत्ता एवं दर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाये तभी वह कृषि यंत्रों/उपकरणों क्य करे।
12. मुख्य कृषि अधिकारी प्रत्येक माह निम्न प्रारूप पर कृषक द्वारा क्रयित यंत्र की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही मूल विनिर्माता फर्म को भी सूचना उपलब्ध करानी होगी।

क्र०सं०	यंत्र का नाम/मेक एवं माडल	यंत्र आपूर्ति कहाँ से हुई/डीलर का नाम	संख्या	कुल कीमत	कुल वितरित अनुदान
1	2	3	4	5	6

13. संबंधित फर्म को प्रत्येक जनपद/तहसील स्तर पर जहाँ पर कृषक द्वारा यंत्रों की मांग की जा रही है, पर सर्विस सेंटर खोलना होगा, जिसमें यंत्र के स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध हों। फर्म द्वारा कृषकों को समय-समय पर यंत्र की Maintenance के संबंध में प्रशिक्षण देना होगा, जिस पर ध्यान उनके द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
14. पंजीकृत फर्मों/अधिकृत विक्रेताओं को सामग्री की गुणवत्ता कृषि यंत्रों/उपकरणों की स्थापना कृषि यंत्रों/उपकरणों का बदलाव (Replacement) विक्रय उपरांत भी सेवा संबंधी जिम्मेदारी ग्रहण करनी होगी।
15. पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेताओं को कृषि यंत्रों/उपकरणों की आपूर्ति के उपरांत लाभान्वित कृषकों को कृषि यंत्रों/उपकरणों चलाने एवं उनके रख-रखाव आदि की पूर्ण जानकारी देकर कृषकों को संतुष्ट करना होगा।
16. विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कृषक को आपूर्तित कृषि यंत्रों/उपकरणों का निरीक्षण करने पर कृषि यंत्रों/उपकरणों को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित विनिर्माता फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसी फर्म/अधिकृत विक्रेता को विभाग द्वारा काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. पंजीकृत विनिर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेता को कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदानित वर्ष एवं विभाग का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
18. विनिर्माता पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता को समय-समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित को पंजीकरण सूची से विलोपित किया जा सकता है।
19. शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधित/परिवर्तन किया जा सकेगा।

20. पंजीकृत किये जा रहे विभिन्न फर्मों के कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु फर्मों द्वारा पंजीकरण के समय कोड की गई दरें दूसरे राज्यों में स्वीकृत दरों से अधिक पाये जाने की दशा में पंजीकरण निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
21. पंजीकृत फर्म के अधिकृत विक्रेता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

संलग्न - यद्योपरि

पत्रांक- कृ०नि० / / तक्र०सम्प्रे० / पंजीकरण-कृषि यंत्र / 2017-18 / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित कृषि यंत्र/फर्म।

(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।